भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *292

जिसका उत्तर 20 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

समुदाय-आधारित भू-जल प्रबंधन पद्धतियां

*292. श्री यदुवीर वाडियार:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर्नाटक में भू-जल के गिरते स्तर को रोकने के लिए क्या विशिष्ट पहल की गई है;

(ख) क्या मैसूरु जिले में समुदाय-आधारित भू-जल प्रबंधन पद्धतियां लागू की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कोडागु के पर्वतीय क्षेत्रों में पुनर्भरण कुओं और 'चेक डैम' के निर्माण की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटील

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'समुदाय-आधारित भू-जल प्रबंधन पद्धतियां' के संबंध में दिनांक 20.03.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *292 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): जल राज्य का विषय है। भूजल से संबंधित मामलों का दायित्व मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थन दिया जाता है। इस दिशा में जल शक्ति मंत्रालय तथा अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा कर्नाटक राज्य सहित देश के भूजल संसाधनों में सुधार के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:-

- सरकार द्वारा वर्ष 2019 से कर्नाटक सहित देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए मिशन मोड पर एक समयबद्ध कार्यक्रम है। जेएसए एक व्यापक अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के सम्मिलन से विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।

- केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा जलभृतों की प्रकृति और उनके विशिष्टीकरण की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम (नैक्यूम) की शुरुआत की गई है। कर्नाटक राज्य के 1.91 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सहित देश के लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के समस्त मैपिंग योग्य क्षेत्र को इस योजना के तहत शामिल किया गया है तथा मांग और आपूर्ति पक्षों के उपायों सहित जिला-वार भूजल प्रबंधन योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य/जिला प्रशासन के साथ साझा किया गया है।

- केंद्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा कर्नाटक सहित पूरे देश के लिए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्टर प्लान-2020 तैयार कर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। इस मास्टर प्लान में 185 बीसीएम (बिलियन क्यूबिक मीटर) जल का दोहन करने के उद्देश्य से देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है। इस मास्टर प्लान में कर्नाटक के लिए लगभग 61,225 संरचनाओं के निर्माण की सिफारिश की गयी है।

- जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह योजना 7 राज्यों के जल की कमी वाले 80 जिलों में भूजल के मांग पक्ष प्रबंधन पर केंद्रित सहभागी भूजल प्रबंधन के लिए समुदाय आधारित स्कीम है। उक्त राज्यों में कर्नाटक के 14 जिलें भी शामिल है।

- कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए और एफडब्ल्यू), भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से कर्नाटक सहित पूरे देश में प्रति बूंद अधिक फसल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जो सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करने और उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए बेहतर ऑन-फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है। इसके परिणामस्वरूप पिछले 5 वर्षों अर्थात वर्ष 2019 से वर्ष 2024 तक कर्नाटक राज्य में 13.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत शामिल किया गया है।

- जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक मॉडल विधेयक परिचारित किया गया है जिससे वे भूजल का निष्कर्षण विनियमित करने के लिए उपयुक्त भूजल कानून अधिनियमित कर सकें। इस मॉडल बिल में वर्षा जल संचयन का प्रावधान भी शामिल है। अब तक कर्नाटक सहित 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूजल कानून को अपनाकर इसका कार्यान्वयन किया गया है।

- भूजल के संबंध में जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सीजीडब्ल्यूबी द्वारा कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में अब तक कुल 93 जन संपर्क कार्यक्रम (पीआईपी) और 50 टियर- II और टियर -III प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(ख): केंद्र सरकार द्वारा देश में भूजल प्रबंधन को वस्तुतः जन आंदोलन का रूप देने के उद्देश्य से व्यापक सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपायों का कर्नाटक राज्य और विशेष रूप से मैसूरु जिले में भी कार्यान्वयन किया गया है, इनका विवरण निम्नलिखित हैं:

- जल शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य जागरूकता के सृजन के माध्यम से भूजल का संरक्षण करना है। जेएसए 2024 का कार्यान्वयन मैसूरु सहित पूरे देश में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, मैसूरु सहित देश के कई जिलों में जल शक्ति केंद्र (जेएसके) भी स्थापित किए गए हैं, जो आम लोगों के साथ संवाद-संपर्क के लिए सूचना केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। जेएसके जल संबंधी मुद्दों जैसे जल संरक्षण पद्धतियों, भूजल संबंधी नीतियों, कुशल सिंचाई तकनीकों, जल गुणवत्ता आदि से संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। इस प्रकार स्थायी भूजल प्रबंधन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बड़े पैमाने पर सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है।

- माननीय प्रधान मंत्री द्वारा भारत में जल स्थायित्वता के लिए जल संचय जन भागीदारी द्वारा एक समुदाय-आधारित प्रयास का शुभारंभ किया गया है, यह जल संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में स्थापित करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का परिचायक है। यह पहल कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं/बोरवेल रिचार्ज शाफ्ट के निर्माण पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से जल संरक्षण में जन भागीदारी अथवा लोगों की सहभागिता के महत्व पर जोर देती है, जिससे भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी और भूजल पुनर्भरण के संवर्धन में सहायता प्राप्त होगी। इस प्रकार मैसूरु जिले में अब तक कुल 404 भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया गया है।

- भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत की गई थी जिसका उद्देश्य जल के भंडारण में वृद्धि करना तथा भूजल के पुनर्भरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना था। इस मिशन के परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण/पुनरुद्धार किया गया है, इनमें से 152 अमृत सरोवर मैसूरु जिले में अवस्थित हैं।

(ग): सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए तैयार किए गए मास्टर प्लान के अनुसार कोडागु जिले में लगभग 120.5 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) जल के पुनर्भरण के लिए 4 उपसतही डाइक, 145 परकोलेशन टैंक, 815 चेक बांध और 21 फिल्टर बेड के निर्माण की सिफारिश की गई थी। इस मास्टर प्लान को उचित स्तर पर योजना और कार्यान्वयन के

लिए राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ साझा किया गया है क्योंकि इस प्रकार के निर्माण कार्य राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हैं।

इसके अतिरिक्त, जेएसए डैशबोर्ड के अनुसार, पिछले 4 वर्षों में कोडागु जिले में चेक डैम (221), पुनर्भरण कूप, परकोलेशन टैंक आदि सहित 15,021 जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण/नवीनीकरण किया गया है।

*****